न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 80 / 2025(GCMS 2025/354)

(RTI No. 212535463698565)

Mr. Ashok Kumar, Village Chellain, Post office – Nadholi, Tehsil Jawali, District Kangra, Himachal Pradesh – 176225 (मोबाईल नम्बर 98160–53779)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

18.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अशोक कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2025 से तहत उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समय पर सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण, अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील पेश कर, लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री अशोक कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

Ashok Kumar, son of Late Garib Dass (S/o Late Nandu), legal heir of the Pong Dam oustee in question, respectfully seek the following information under the Right to Information Act, 2005. Information Sought: Certified copy of the Mokka Report and other land records related to the allotment of land to Garib Dass, Pong Dam oustee, in Plot No. 16A and Murabba No. 302/452, situated in District Sri Ganganagar: Anupgarh / Gharsana or District Bikaner: Khajuwala. Full details of the first allotment made to Garib Dass: 1.Date of allotment 2. Total area and type of land (agricultural / residential) 3.Certified copy of the Allotment Order / Patta 4.Certified copies of: Field survey reports, Jamabandi, Girdawari, Nakal, maps, or any relevant land records 5. File notes / correspondence / objections (if any) 6. Current legal status of the land: 6.1 -Name of the owner in the current land records: Garib Dass or his legal heirs / someone else / acquired by government 6.2 - Status of land: Valid / Acquired / Cancelled / Transferred / Mutated 6.3-Certified copies of: Mutation Order / [illegible] Order / Re-allotment / Acquisition details Applicant Details Name: Ashok Kumar

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सीजी / वाचक / 25 / 3008 दिनांक 01.10.2025, 3198 दिनांक 27.10.2025 (स्मरण पत्र–1) एवं 04 दिनांक 02.01.2026 (स्मरण पत्र–2) से रिपोर्ट

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 80/2025
(GCMS No. 2025/354)
(RTI No. :212535463698565)
अशोक कुमार बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा अपील का कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि नि[illegible] होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा वांछित सू[illegible]कर, अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति उपखण्ड अ[illegible]री, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ नि[illegible] की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manjukar
Date: 2026.03.18 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested